पटना में दिनांक—22 नवम्बर, 2023 बुधवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के नियम, 1995 (समय—समय पर यथा संशोधित) के नियम, 15(1) के उपबंधों के अधीन निर्गत संकल्प सं०—1825 दिनांक— 19.09.2020 के कार्यान्वयन के लिए पत्रांक—1827 दिनांक—19.09.2020 द्वारा प्रेषित तत्संबंधी मार्गदर्शिका की कंडिका—4(iii) नियुक्ति हेतु अर्हता में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में सशर्त छूट की स्वीकृति के संबंध में। — **1. स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

2. मेसर्स मरासा सरोवर प्रिमियर (ए यूनिट ऑफ मरासा हॉस्पिटैलिटी प्रा० लि०) नेवतपुर, बोधगया, गया को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली—2016 के नियम—7(2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। — **2. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

3. कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर सारण जिलान्तर्गत मशरख—शामकोड़िया रेलवे स्टेशनों के बीच शीतलपुर —मशरख SH-73 पथ पर स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या —34B2 के बदले आर०ओ०बी० (Road Over Bridge) के निर्माण हेतु राज्यांश की राशि ₹3060.64 लाख (तीस करोड़ साठ लाख चौसठ हजार मात्र) सहित कुल राशि ₹5602.07 लाख (छप्पन करोड़ दो लाख सात हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **3. स्वीकृत।**

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

4. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में "छात्रावास प्रबंधक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण संवर्ग" के पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तों को विनियमित करने हेतु "छात्रावास प्रबंधक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण संवर्ग नियमावली, 2023" के गठन की स्वीकृति। — **4. स्वीकृत।**

भवन निर्माण विभाग

5. श्री बृजा सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, राजेन्द्र नगर अवर प्रमण्डल, पटना भवन प्रमण्डल, पटना सम्प्रति निलंबित को निगरानी धावा दल द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए जाने के क्रम में विशेष वाद संख्या–10/17 में माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी द्वारा दिनांक–21.11.2022 को पारित दण्डादेश के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम– 14(xi) के निहित प्रावधानों के अनुसार –'सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हत्ता होगी'' दंड प्रस्ताव की स्वीकृति। — 5. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

6. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में पूर्व से गठित स्थानिक अभियंता का कार्यालय, नई दिल्ली तथा उद्यान प्रमंडल, पटना को पुनर्गठित करते हुए गैर योजना मद में कुल ₹1,20,47,076/–(एक करोड़ बीस लाख सैंतालीस हजार छिहत्तर रूपये) मात्र अनुमानित वार्षिक व्यय पर भवन प्रमंडल, नई दिल्ली का गठन एवं उद्यान प्रमंडल, पटना का पुर्नगठन सहित आवश्यक कुल 12 पदों का सृजन के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभा

7. भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत गैर योजना मद में कुल ₹24,14,136/– (चौबीस लाख चौदह हजार एक सौ छत्तीस रूपये) मात्र के अनुमानित वार्षिक व्यय पर बिहार वास्तुविद् संवर्ग के मुख्य वास्तुविद् के 01 पद का सृजन। — 7. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

8. पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा–मुहर्रमपुर, थाना नं०–137, वार्ड सं०–01, सीट सं०–22/21 के विभिन्न म्यूनिसिपल खेसरा की कुल रकबा–0.09877 एकड़ (भूमि विवरणी परिशिष्ट–I) पर्यटन विभाग के दखल/स्वामित्व की भूमि पर गाँधी मैदान मेट्रो रेल स्टेशन के निर्माण हेतु सलामी एवं पूँजीकृत मूल्य सहित कुल राशि मो०– 8,88,93,000/–(आठ करोड़ अठासी लाख तिरानवे हजार) रूपये मात्र के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। — 8. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

9. बेगूसराय जिलान्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के प्रभावी अनुपालन के निमित्त प्रसंस्करण एवं लैंडफिल साईट के लिए अंचल–बरौनी, मौजा–मल्हीपुर, थाना सं०–503, खाता सं०–261, खेसरा सं०–890, रकबा–16 एकड़, किस्म–गैरमजरूआ खास रेता की भूमि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

10. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पम्प ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन के पूर्व से सृजित पदों को अंचल स्तरीय पम्प ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2014 में वर्णित पद सोपान के अनुरूप संवर्ग पुनर्गठन के प्रस्ताव को अनुमानित वार्षिक व्यय भार ₹ 1,86,62,304/– (एक करोड़ छियासी लाख बासठ हजार तीन सौ चार रूपये मात्र) की स्वीकृति। — 10. स्वीकृत।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

11. सात निश्चय कार्यक्रम के तहत गोपालगंज जिला में स्थापित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गोपालगंज के निर्माण कार्य की पूर्व स्वीकृत योजना लागत रू० 73.13 करोड़ (तिहत्तर करोड़ तेरह लाख रूपये) मात्र का पुनरीक्षित योजना लागत रू० 97,16,53,941.00 (संतान्वे करोड़ सोलह लाख तिरपन हजार नौ सौ इकतालीस रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

12. राज्य के सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में 'संस्थान विकास सोसाईटी (महाविद्यालय/संस्थान का नाम)' का गठन एवं तत्संबंधी स्मृति–पत्र तथा नियमावली की स्वीकृति। — 12. स्वीकृत।

वित्त विभाग

13. राज्य सरकार के अन्तर्गत प्रशासनिक कार्यों के संपादन हेतु मोबाईल फोन की अनुमान्यता एवं उसके क्रय के लिए निर्धारित राशि की अधिसीमा में वृद्धि के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

वित्त विभाग

14. वैसे मामलों में जहाँ एक ही विज्ञापन के माध्यम से दिनांक–01.09.2005 के पूर्व कतिपय अभ्यर्थी पुरानी पेंशन योजना के तहत तथा 01.09.2005 के पश्चात कतिपय अभ्यर्थी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन०पी०एस०) के तहत नियुक्त हुए हैं, एन०पी०एस० के तहत नियुक्त वैसे कर्मियों को कतिपय शर्तों के अधीन पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प प्रदान करने के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

15. सात निश्चय कार्यक्रम के तहत अररिया जिला में स्थापित श्री फनीश्वर नाथ रेणु अभियंत्रण महाविद्यालय, अररिया के निर्माण कार्य की पूर्व स्वीकृत योजना लागत रू० 73.13 करोड़ (तिहत्तर करोड़ तेरह लाख रूपये) मात्र का पुनरीक्षित योजना लागत रू० 98,97,25,748.00 करोड़ (अंठानवे करोड़ संतानवे लाख पच्चीस हजार सात सौ अड़तालीस रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

15. स्वीकृत।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

16. विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया में आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम (बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर) के लिए 14 (चौदह) शैक्षणिक पदों (प्राध्यापक–01, सह–प्राध्यापक–03, सहायक प्राध्यापक–10) के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

16. स्वीकृत।

वित्त विभाग

17. सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.07.2023 के प्रभाव से 42% के स्थान पर 46% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

17. स्वीकृत।

वित्त विभाग

18. वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय बचत कार्यालयों में वर्तमान में पदस्थापित एवं कार्यरत लिपिकों एवं कार्यालय परिचारियों को जिला समाहरणालयों में समान पद पर समायोजित करने हेतु वित्त विभाग को प्राधिकृत करने एवं राष्ट्रीय बचत कार्यालयों का परिसमापन करने के संबंध में।

18. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

19. श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर के परिसर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर की स्थापना हेतु राज्य सरकार की ओर से कुल रू० 100.00 करोड़ (रूपये एक सौ करोड़) मात्र की राशि बजटीय उपबंध से अनुदान के रूप में दिये जाने की स्वीकृति।

19. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

20. मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरान्त विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–176 (10), दिनांक–27.07.2021 द्वारा राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु रू० 1754.99 करोड़ के आकलित व्यय पर, 1015 स्वास्थ्य उप–केन्द्र एवं 228 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा वैसे 86 प्रखंड जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्मित नहीं में इनके निर्माण एवं एन०एच०एम० द्वारा निर्माण किये जाने वाले 50 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के अतिरिक्त अन्य कार्य हेतु मॉडल प्राक्कलन के आधार पर योजना की प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के व्यय शीर्ष/व्यय के स्वरूप में परिवर्त्तन की स्वीकृति। — **20.** स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

21. श्री अंचल द्विवेदी, न्यायिक दंडाधिकारी–सह–अपर मुंसिफ, सारण, छपरा (सेवा से बर्खास्त) को सेवा में बहाल करने की स्वीकृति। — **21.** स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

22. सहकारिता विभाग के अधीन सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग के वर्तमान सृजित पदों/स्वीकृत बल को, बिना नया पद सृजित किए तथा आंशिक पदों को उत्क्रमित कर, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम–3(1) में निर्धारित विभिन्न कोटि के पदों में पुनर्निर्धारण एवं चिह्नितीकरण के संबंध में। — **22.** स्वीकृत।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

23. बिहार राज्य अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के लिए "परामर्श नीति" (Consultancy Policy) की स्वीकृति। — **23.** स्वीकृत।

परिवहन विभाग

24. राज्य के प्रखंडों एवं सुदूर पंचायत को जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुल 3600 बसों के लिए लाभुक को बस के क्रय पर प्रति बस 5,00,000/–(पाँच लाख) रू0 अनुदान के भुगतान हेतु 180,00,00,000/–(एक सौ अस्सी करोड़) रू0 की "मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना" की स्वीकृति एवं इस पर होने वाले व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — **24.** स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

25. जहानाबाद जिलान्तर्गत जहानाबाद अंचल के मौजा–बिस्टौल, थाना सं०–401, खाता सं०–151, 148 खेसरा सं०–950, 1374, कुल रकबा–36 डिसमील रैयती भूमि श्री बच्चु बिहारी सिंह, पिता–स्व० रामविलास सिंह, श्री ललन सिंह, पिता–स्व० सुखदेव सिंह एवं श्री उपेन्द्र सिंह, पिता–स्व० सच्चिदानन्द सिंह द्वारा बिहार सरकार को निबंधित दस्तावेज द्वारा दान के रूप दी गई उक्त रैयती भूमि के बदले अंचल–जहानाबाद, मौजा–बिस्टौल, थाना सं०–401, खाता सं०–167, खेसरा सं०–952, कुल रकबा–53.50 डी० में से 36 डी० गैरमजरूआ मालिक भूमि श्री बच्चु सिंह, पिता–स्व० रामविलास सिंह, श्री ललन सिंह, पिता–स्व० सुखदेव सिंह एवं श्री उपेन्द्र सिंह, पिता–स्व० सच्चिदानन्द सिंह को स्थायी बंदोबस्ती करने के संबंध में।

25. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

26. बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी, 2023 के गठन की स्वीकृति के संबंध में।

26. स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

27. ग्रामीण कार्य विभाग के बढ़े हुए कार्यों एवं दायित्वों का ससमय गुणवत्तापूर्ण एवं विशिष्टियों के अनुरूप निष्पादन हेतु पूर्व सृजित एवं प्रस्तावित नये कार्यालयों को सशक्त एवं संगठनात्मक रूप से सुदृढ़ करने के निमित्त आवश्यकता आधारित नये एवं अतिरिक्त पदों के सृजन सहित पूर्व स्वीकृत पदों का पुनर्गठन एवं युक्तिकरण/समायोजन के संबंध में।

27. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

28. इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत् अनावर्ती अनुदान के रूप में "स्ट्रेंगनथेनिंग एण्ड अप–ग्रेडेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर इन्क्रीज इन पीजी सीट्स (प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि–पीएमएसएसएन)– फेज-II" के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 में केन्द्रांश के रूप में रू० 82,80,00,000/–(रूपये बेरासी करोड़ अस्सी लाख) मात्र एवं समानुपातिक राज्यांश के रूप में रू० 55,20,00,000/–(रूपये पचपन करोड़ बीस लाख) मात्र अर्थात् कुल रू० 1,38,00,00,000/–(रूपये एक अरब अड़तीस करोड़) मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति।

28. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

29. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा स्थापित नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये राईट ऑफ वे (RoW) से संबंधित त्रिपक्षीय समझौता एकरारनामा के एडेन्डम हस्ताक्षरित किये जाने के संबंध में।

29. स्वीकृत।

विधि विभाग

30. माननीय उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में अभिलेखवाह (वेतनस्तर–3) के 110 पदों में से 55 पद को अभिलेख लिपिक (वेतनस्तर–4) के पद पर उत्क्रमित करने के संबंध में। **30.** स्वीकृत।

विधि विभाग

31. माननीय उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में 'सुवास सेल' हेतु अनुवादक के 60 पद एवं अनुवादक–सह– प्रूफ रीडर के 20 पद कुल 80 पदों के सृजन के संबंध में। **31.** स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

32. बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड (BSPGCL) द्वारा कजरा (लखीसराय) में 185 मेगावाट (AC) सौर ऊर्जा (PV) क्षमता के साथ 253.85MWh बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) परियोजना के अधिष्ठापन हेतु कुल 1810.34 करोड़ (एक हजार आठ सौ दस करोड़ चौतीस लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 80:20 वित्तीय पोषण के तहत् 80% अर्थात् 1448.27 करोड़ (एक हजार चार सौ अड़तालीस करोड़ सताइस लाख) रूपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण स्वरूप प्राप्त करने की स्वीकृति एवं 20% अर्थात् 362.07 करोड़ (तीन सौ बासठ करोड़ सात लाख) रूपये इक्विटी स्वरूप पूँजीगत निवेश के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **32.** स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

33. दरभंगा जिलान्तर्गत अंचल किरतपुर में किरतपुर प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय एवं आवास भवनों के निर्माण हेतु मौजा–झगरूआ, थाना नं०–403, खाता सं०–2360, खेसरा सं०–6212 एवं 6212/9216 रकबा क्रमशः 5.45 एकड़ एवं 0.26 एकड़ यानि कुल रकबा– 5.71 एकड़ अनावाद सर्वसाधारण की भूमि ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। **33.** स्वीकृत।

निर्वाचन विभाग

34. आगामी लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के निमित्त मतपत्रों के मुद्रण हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम 131झ (ङ) के तहत नामांकन के आधार पर पश्चिम बंगाल, राज्य सरकार के उपक्रम मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, 11 बी०टी० रोड, कोलकाता– 700056 को प्राधिकृत करने की अनुमति दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में। **34.** स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

35. फिल्म "चिड़ियाखाना" के लिए मल्टीप्लेक्सों/ सिनेमाघरों में प्रवेश हेतु प्रभारित प्रवेश शुल्क पर देय राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 35. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

36. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं०लि० के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु सरायरंजन (समस्तीपुर) में एक नये 2X50 एम०भी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०भी० ग्रिड सब–स्टेशन, इससे संबंधित संचरण लाईन तथा ताजपुर ग्रिड सब–स्टेशन में दो लाईन 'बे' के निर्माण हेतु 105.31 करोड़ (एक सौ पाँच करोड़ इकतीस लाख) रूपये की नई योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 20% अर्थात 21.06 करोड़ (इक्कीस करोड़ छः लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 84.25 करोड़ (चौरासी करोड़ पच्चीस लाख) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 36. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

37. बिहार (शैक्षणिक संस्थानो में नामांकन में) आरक्षण अधिनियम, 2003 बिहार अधिनियम–16/2003 एवं संशोधन अधिनियम–18/2023 को भारत के संविधान के अनुच्छेद–31 (ख) के अधीन भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु राज्य सरकार की अनुशंसा भेजने के संबंध में। — 37. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

38. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–1991 यथा संशोधित बिहार अधिनियम–17/2002 एवं संशोधन अधिनियम–19/2023 को भारत के संविधान के अनुच्छेद–31(ख) के अधीन भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु राज्य सरकार की अनुशंसा भेजने के संबंध में। — 38. स्वीकृत।

अन्यान्य

39. बिहार राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अति पिछड़ा एवं पिछड़े वर्गों को पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण का प्रतिशत 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के लिए आरक्षण अधिनियम, 2023 की अधिसूचना निर्गत करने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, बिहार को धन्यवाद दिया गया। इस प्रावधान के लागू होने से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा मिलेगा तथा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी।

अन्यान्य

40. राज्य सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना सफलता पूर्वक सम्पन्न किया गया जिसमें सभी वर्गों को मिलाकर बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार पाये गये हैं। उन सभी परिवार के एक सदस्य को रोजगार हेतु 2 लाख रूपये तक की राशि किस्तों में उपलब्ध करायी जायेगी। 63850 आवासहीन एवं भूमिहीन परिवारों को जमीन क्रय के लिए दी जा रही 60 हजार रूपये की राशि की सीमा को बढ़ाकर 01 लाख रूपये कर दिया गया है। साथ ही इन परिवारों को मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रूपये दिये जायेंगे। जो 39 लाख परिवार झोपड़ियों में रह रहें हैं उन्हें भी पक्का मकान मुहैया कराया जायेगा जिसके लिए प्रति परिवार 1 लाख 20 हजार रूपये की दर से राशि उपलब्ध करायी जायेगी। सतत् जीविकोपार्जन योजना के अन्तर्गत अत्यंत निर्धन परिवारों की सहायता के लिए अब एक लाख रूपये के बदले दो लाख रूपये दिये जायेंगे। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में लगभग दो लाख पचास हजार करोड़ रूपये की राशि व्यय होगी।

इतनी बड़ी राशि उपलब्ध होने के लिए आवश्यक है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। हमारी माँग पर तत्कालीन केन्द्र सरकार ने इसके लिए रघुराम राजन कमिटी भी बनाई थी। जिसकी रिपोर्ट सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी परन्तु उस समय भी तत्कालीन केन्द्र सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। इस संबंध में बिहार सरकार अनेक बार भारत सरकार से अनुरोध किया एवं पत्रांक 4610129 दिनांक–26.05.2017 द्वारा वर्त्तमान केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया किन्तु इस दिशा में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

अगर बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाय तो बिहार राज्य विकसित राज्यों की श्रेणी में जल्द आ जायेगा। अतः बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से पुनः अनुरोध करने हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया।